रिपोर्ट करने योग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष
आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

दाण्डिक अपील क्रमांक–1317/2022

चेरतुरम उर्फ चैनू **... अपीलार्थी**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य **... उत्तरवादी**

निर्णय

न्यायाधीश संजय किशन कौल, के अनुसार :–

1. हम पितृहत्या के एक प्रकरण का सामना कर रहे हैं, यद्यपि पिता तथा पुत्र दोनों एक साथ मदिरा सेवन कर रहे थे।

2. 26 तथा 27 जुलाई, 2010 की दरम्यानी रात को 10.00 बजे से 12.30 बजे के बीच मदिरा सेवन के प्रभाव से पिता तथा पुत्र के बीच झगड़ा हो गया होगा। सूचनाकर्ता, चामूराम (आ स–8), जो एक पड़ोसी है, उनके घर पहुंचने पर अपीलार्थी को अपने पिता गोइंदा, मृतक, पर नागर लकड़ी के साथ हमला करते हुए पाया। मृतक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अपीलार्थी के भाई, आ स–4 की उपस्थिति में, अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता की हत्या की थी। आ स–8 द्वारा अगली सुबह पुलिस थाना दरिमा में प्राथमिकी दर्ज की गई तथा अपीलार्थी को 28.07.2010 को गिरफ्तार किया गया। लुंगी के साथ–साथ नागर लकड़ी के संबंध में अपीलार्थी के प्रकटीकरण बयान पर, दोनो अपीलार्थी के घर के आंगन में पाए गए और फिर रासायनिक जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, रायपुर भेजे गए।

3. शव परीक्षण के परिणाम को निर्धारित करना आवश्यक है, जिसमें मत दिया गया था कि शव पर चोटें मृत्यु के आधे से दो घंटे के बीच किसी कठोर तथा बोथरे वस्तु के कारण लगी थीं। इन चोटों को जीवन के लिए घातक तथा मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त बताया गया था। ग्यारह चोटें पाई गईं, जो इस प्रकार हैं:

"1. मृतक के सिर के दाईं ओर एक टूटा हुआ घाव पार्श्व क्षेत्र में हड्डी की गहराई तक 2.5 x 1/4 इंच की गहराई तक सामने से पीछे की ओर मौजूद था;

2. सिर के सामने 2x1/4 इंच के आकार का गहरा नीला फटा हुआ घाव था, जिस पर चारों ओर सूजन थी;

3. सिर के पीछे बाईं ओर 4 इंच गोल एक चोट मौजूद थी, जिसके अंदर रक्त का थक्का मौजूद था;

4. 3x2 इंच आकार का एक नील बाएं कान के पास मौजूद था;

5. गर्दन के सामने तथा बाईं ओर 6x4 इंच भाग सूजन तथा 2 नीले रंग की चोटें मौजूद थीं;

6. 4x4 इंच के हिस्से में बाएं गाल पर, सूजन के साथ नील थे;

7. छाती पर उरोस्थि की हड्डी टूट गई थी तथा उसके नीचे खून का थक्का था तथा छाती पर नीले रंग की चोट थी;

8. दाहिनी छाती पर, 4x4 इंच क्षेत्र में,नील मौजूद थी जिसके कारण दूसरी, तीसरी, चौथी पसलियां टूट गई थीं तथा टूटी हुई पसलियों के नीचे खून जमा हो गया था;

9. बाईं छाती पर 6x2 इंच आकार की नील मौजूद थी तथा इसके नीचे पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी पसलियां टूट गई थीं तथा टूटी हुई पसलियों के नीचे खून का थक्का जमा हो गया था।

10. पीठ तथा बाएं पेट की ओर, 3 चोटें मौजूद थीं, जो आकार में 3X2, 5X2 इंच तथा 7X2 इंच के थे; तथा

11. बाईं आंख का रंग लाल था तथा उसमें सूजन थी।"

शव की आंतरिक परीक्षण में मृतक के पेट के अंदर मदिरा पाई गई। मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण अंगों को घातक चोटों के कारण होने वाला रक्तस्रावी सदमा बताया गया था तथा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी।

4. विवेचना पूरी होने पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने इस मामले को सत्र न्यायालय में सुपुर्द किया। 08.03.2011 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (इसके बाद "भा.दं. सं.' के रूप में संदर्भित) के तहत आरोप तय किए गए थे तथा अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों का परीक्षण कराया था।

5. अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (इसके बाद "दं. प्र. सं.' के रूप में संदर्भित) के तहत अपने बयान में निर्दोष होने का कथन किया था, लेकिन यह स्वीकार किया था कि वह तथा मृतक एक ही घर में एक साथ रह रहे थे।

6. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 15.10.2012 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी को भा.द.सं. की धारा 302 के तहत मानव वध हत्या कारित करने का दोषी पाते हुए उसे दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा के साथ 1,000/– रुपये का जुर्माने तथा जुर्माने के व्यतिक्रम की स्थिति में 4 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया। यह राय दी गई कि अभियोजन पक्ष का प्रकरण प्रत्यक्ष साक्ष्य, न्यायिक स्वीकारोक्ति, अपीलार्थी के प्रकटीकरण बयान के आधार पर जब्ती तथा इस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था कि मृतक का शव अपीलार्थी के घर में पाया गया था।

7. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर किए जाने पर, इसे दिनांक 08.04.2015 के आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया, जिसमें पड़ोसियों के बयान शामिल थे, जो अभियोजन पक्ष के गवाह थे कि अपीलार्थी और मृतक एक ही घर में रह रहे थे और मृतक की मृत्यु के बारे में सूचित किए जाने पर, वे घर गए और मृतक के शव को देखा।

8. विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दिए जाने पर, 18.07.2022 को नोटिस जारी किया गया था।एकमात्र पहलू, जिस पर 18.07.2022 तथा नोटिस जारी किया गया था, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलील थी कि वर्तमान प्रकरण भा०द०सं० की धारा 304 धारा–। के तहत आएगा, न कि भा०द०सं० की धारा 302 के तहत अपीलार्थी तब तक बारह वर्ष की वास्तविक सजा भुगत चुका था।

9. दिनांक 22.08.2022 को अनुमति प्रदान किये जाने के उपरान्त उपरोक्त पहलू पर तर्क सुने गये।

<u>अपीलार्थी की ओर से निवेदन :–</u>

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलार्थी तथा मृतक दोनों मदिरा सेवन कर रहे थे तथा मदिरा सेवन के प्रभाव में लड़ने लगे। इस विवाद में, अपीलार्थी ने एक नागर लकड़ी उठाई तथा अपने पिता को कुछ चोटें पहुंचाईं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। यहा कोई उद्देश्य तथा आशय नहीं था, जिसका अर्थ है कि भा.दं. सं. की धारा 300 की आवश्यक तत्व अनुपस्थित थे और भा.दं. सं. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि त्रुटिपूर्ण थी। इसके अलावा मृतक के पेट में मदिरा भी पाई गई थी।

11. यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस पहलू पर बहस करने की मांग की थी कि क्या दोषसिद्धि अंतिम बार साथ देखे गए सिद्धांत पर आधारित हो सकती है। हालाँकि, यह वह पहलू नहीं है जिस पर नोटिस जारी किया गया था।

<u>उत्तरवादी की ओर से निवेदन :–</u>

12. उत्तरवादी के अधिवक्ता ने शुरू में यह तर्क देने की मांग की कि किसी घर की गोपनीयता के भीतर की गई हत्या के प्रकरण में, कैदियों पर अपराध हेतु एक ठोस स्पष्टीकरण देने का भार है। साक्षियों के बयानों से अपराध की पुष्टि की गयी। एक बार पुनः, हमें यह कहना होगा कि यह एक ऐसा पहलू नहीं है, जिसे जारी किए गए सीमित नोटिस के तहत हमारे द्वारा जांचा जाना आवश्यक है।

13. अपराध की प्रकृति के मुद्दे पर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता **ने भा.दं.** सं. की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत मामला बनाने के लिए **सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य**[1] के निर्णय का अवलम्ब लिया। धारा 300 निम्नानुसार है:"

> **300 – हत्या** :–एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा
>
> दूसरा– यदि वह एसा शारारिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा
>
> तीसरा– यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा
>
> चौथा– यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसत्रसंकट है कि पूरी अधिसम्भाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।
>
> **XXX XXX XXX XXX XXX**
>
> अपवाद 4 :– आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो।
>
> स्पष्टीकरण :– ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है।"

14. पूर्वोक्त अपवाद 4 के तहत एक मामला बनाने के लिए, यह तर्क दिया गया था कि दो आवश्यक तत्व थे:–(i) अभियुक्त ने पूर्वचिंतन के साथ कार्य नहीं किया, और (ii) अभियुक्त ने स्थिति का लाभ उठाते हुए क्रूर या क्रूर तरीके से कार्य नहीं किया। इसलिए चोटों की प्रकृति यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि क्या मृत्यु अचानक लड़ाई के कारण हुई थी ?

---

1 (2017) 5 SCC 796

15. विद्वान अधिवक्ता ने **मनोकरण बनाम टी.एन. राज्य**[2] में निर्णय का उल्लेख किया जिसमें इस न्यायालय ने चोटों की प्रकृति के कारण भा.दं. सं. की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें गर्दन की जड़ पर एक व्यक्ति को घायल करने के लिए क्रूरता और निर्दयता दिखाई गई थी।

16. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर उक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह प्रस्तुत है कि खोपड़ी, छाती तथा पेट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ग्यारह चोटें थीं, जिससे उरोस्थि तथा साथ ही दूसरी, तीसरी तथा चौथी पसलियों पर अस्थि भंग यह प्रदर्शित करता है कि अपीलार्थी ने क्रूरता के साथ कार्य किया था। अतः, वर्तमान प्रकरण भा०द०सं० की धारा 300 के चौथे अपवाद के तहत नहीं आ सकता है।

17. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने भा०द०सं० की धारा 86 का भी संदर्भ दिया, जो निम्नानुसार है:–

> **"86 :– किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है–** "उन दशाओं में, जहां कि कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति, जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता जब तक कि वह चीज, जिससे उसे मत्तता हुई थी, उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो ।"

18. इस प्रकार, उत्तरवादी द्वारा यह निवेदन किया गया कि केवल इसलिए कि अपीलार्थी तथा मृतक ने एक साथ शराब का सेवन किया था, पूर्ण ज्ञान अपीलार्थी के लिए उत्तरदायी है तथा शराब के प्रभाव में होने का बचाव कुछ ऐसा नहीं है जो उसके लिए उपलब्ध था।

19. आगे यह तर्क दिया गया कि धारा 300 की चौथी दशा ऐसे अपराधी के कृत्य पर लागू होगी जिसे इस बात का ज्ञान है कि उसके कृत्य का परिणाम मृत्यु होगा, जो एक व्यावहारिक निश्चितता/संभाव्यता की उच्च डिग्री का अनुमान लगाता है। वर्तमान प्रकरण में चोटों की प्रकृति इंगित करती है कि मृत्यु एक

---

2 (2010) 15 SCC 562

व्यावहारिक निश्चितता थी। अतः, अपीलार्थी की दोषसिद्धि भा०द०सं० की धारा 302[3] के तहत कायम रहने के लिए उत्तरदायी थी।

निष्कर्ष:

20. हमने उपर्युक्त तथ्यों तथा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की सीमित रूप रेखाओं के भीतर परिक्षण किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता और पुत्र होने के नाते पक्ष घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। पहले कोई विवाद नहीं था। मदिरा अपीलार्थी पर हावी हो गई। हालाँकि, भा०द०सं० की धारा 86 के तहत यह कोई बचाव नहीं है।

21. इस प्रकार हमें इस तथ्य की ओर रुख करना होगा कि कोई पूर्व आशय नहीं था, लेकिन अचानक हुई लड़ाई में, चोटें लगी थीं। इस संबंध में उन चोटों को देखना आवश्यक है जिन्हें ऊपर बताया गया है। ग्यारह चोटें आईं थी, यह केवल चोटों की संख्या नहीं है, बल्कि यह भी है कि उन्हें कहाँ तथा किस तरीके से मारा गया था, भले ही यह किसी खतरनाक हथियार से नहीं, बल्कि नागर लकड़ी के एक टुकड़े से हुआ हो। सिर पर कई चोटें थीं–दाहिनी ओर, सामने की ओर, पीछे की ओर बाईं ओर, बाएं कान के पास, गर्दन के आगे तथा बाईं ओर तथा बाईं गाल पर। छाती पर उरोस्थि की हड्डी टूट गई थी तथा उसके नीचे खून का थक्का था। दाहिनी छाती पर 4X4 इंच क्षेत्र का नील मौजूद था, जिसके कारण दूसरी, तीसरी, चौथी पसली टूट गई थी तथा टूटी हुई पसली के नीचे खून जमा हो गया था। इसी तरह बाईं छाती पर, 6x2 इंच आकार का नील था। पीठ तथा बाएं पेट की ओर भी नील मौजूद था। यह स्पष्ट रूप से शरीर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों पर बेरहमी से पीटने तथा सिर पर तथा सिर के विभिन्न हिस्सों पर बार–बार लकड़ी के टुकड़े से प्रहार करने का प्रकरण है। इस तरह के वार से मृतक के बचने की कोई संभावना नहीं । शायद यह मदिरा के प्रभाव में था, लेकिन प्रहार की प्रकृति ऐसी थी कि मृतक पिता के जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। यह निश्चित रूप से एक क्रूर तथा निर्दयता तरीके से किया गया कार्य था जो स्थिति का लाभ उठा रहा था, भले ही कोई पूर्व–विचार न हो। इस प्रकार, तथ्यात्मक परिदृश्य **मनोकरन**[4] प्रकरण के अनुपात में आएगा।

---

3 A.P. v. Rayavarapu Punnayya (1976) 4 SCC 382

4 (supra)

22. ऐसे परिदृश्य में पुत्र हेतु सहानुभूति गलत होगी। पीड़ित पिता था। अपीलार्थी को अपने पिता पर इस तरह के निर्दयी हमले का परिणाम भुगतना चाहिए। धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने हेतु कोई कारण नहीं बताया गया है।

23. एकमात्र राहत देने वाली विशेषता यह है कि अपीलार्थी पहले ही 12 वर्ष की सजा काट चुका है और सजा पूरी होने पर, क्षमा नीति के अनुसार, वह रिहाई के लिए विचार करने के लिए उत्तरदायी होगा। एकमात्र पहलू जिस पर हम विचार करने हेतु इच्छुक हैं, वह यह है कि राज्य को निर्देश जारी किया जाए कि, जिस क्षण वह इस तरह के विचार हेतु नीति के अनुसार अनिवार्य सजा पूरी करता है, तब अपीलार्थी के प्रकरण पर क्षमा हेतु विचार किया जाए।

24. उपरोक्तानुसार अपील निराकृत की जाती है, पक्षकारों को अपना व्यय स्वयं वहन करना होगा ।

न्यायाधीश
[संजय किशन कौल]

न्यायाधीश
[पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा]

नई दिल्ली
13 सितंबर, 2022

---00---

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**